न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 64/2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 चम्पालाल पुत्र सालूडाजी जाति कुम्हार निवासी माण्डवला हाल समदड़ी		1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जालोर
2 आसुराम पुत्र सीताराम कुम्हार		2 चम्पालाल पुत्र सालूडाजी जाति जटिया निवासी माण्डवला हाल समदडी
3 कंकूदेवी पत्नी सीताराम जाति कुम्हार निवासीगण माण्डवला हाल बालोतरा		3 आसुराम पुत्र सीताराम जाति जटिया
4 कमलादेवी पत्नी घेवरचन्द कुम्हार		4 कंकूदेवी पत्नी सीताराम जाति जटिया निवासीगण माण्डवला हाल बालोतरा
5 कालुराम पुत्र घेवरचन्द कुम्हार		5 कमलादेवी पत्नी घेवरचन्द जटिया
6 राजूराम पुत्र घेवरचन्द कुम्हार निवासीगण माण्डवला हाल पाली		6 कालुराम पुत्र घेवरचन्द कुम्हार
		7 राजूराम पुत्र घेवरचन्द कुम्हार निवासीगण माण्डवला हाल पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.1.18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 47/2014 चम्पालाल बनाम सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 अनुपस्थित। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा धलुण्डा के खसरा नमबर 1061 रकबा 57 बीघा 5 बिस्वा के वर्तमान खसरा नमबर 395 रकबा 9.27 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट्स की जाति जटिया अंकित कर दी गई है। उक्त जटिया जाति के स्थान पर कुम्हार (प्रजापत) घोषित कराते हुए राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में तारीख 05.05.2015 को जवाबदावा हेतु नियत थी, जो आगे दिनांक 20.07.2015 को नियत की गई। इससे पूर्व ही पेशी दिनांक को परिवर्तित करते हुए अपीलाण्ट का वाद दिनांक 26.05.2015 को ही निर्णित कर दिया गया, जबकि अपीलाण्ट को न तो नियत दिनांक से पूर्व सुनवाई हेतु किसी प्रकार का नोटिस दिया गया तथा न ही किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। जैर अपील वादस्थ भूमि प्रथम सेटलमेन्ट के समय राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट की जाति कुम्हार के स्थान पर जटिया दर्ज हो गई, जो सिलसिलेवार तहरीर हुए रेकर्ड में बदस्तूर रही। मात्र गलत जाति दर्ज होने के आधार पर धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं हो जाते। अपीलाण्ट की वास्तविक जाति कुम्हार है, जो अन्य पिछडा वर्ग में शुमार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो जवाबदावा लिया तथा न ही वाद बिन्दु कायम किए, अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का किसी प्रकार से अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा माफिक अनुतोष अपील को डिक्री करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में विधिवत कार्यवाही करते हुए राजस्व लोक अदालत में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स द्वारा दिनांक 30.07.2014 को वाद पेश कर ग्राम पीपाडा के खसरा नम्बर 202 रकबा 11 बीश्धा 6 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि का अपीलाण्ट को खातेदार घोषित कराने एवं वादीगण द्वारा रास्ते के लिए भूमि खसरा नम्बर 203 रकबा 2 बीघा भूमि का रास्ते में तरमीम कराने का आदेश प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब करने के आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

दिए। प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामील नहीं लौटने के कारण अखबार में प्रकाशित करवाया गया तथा दिनांक 05.05.2015 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 20.07.2015 को नियत की गई। इससे पूर्व ही दिनांक 26.05.2015 को जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया।

प्रथमतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त नही होने पर दिनांक 29.09.2014 को पुनः तलबाना पेश करने के आदेश जारी किए। इसके पश्चात दिनांक 02.12.2014 को पुनः तलबाना पेश करने के आदेश जारी किए तथा आगामी पेशी दिनांक 13.01.2015 को नियत की। इसके पश्चात दिनांक 13.01.2015 की आदेशिका में यह अंकित किया गया कि प्रतिवादीगण की तलबी का सम्मन अखबार में छाया करवाया गया था एवं अखबार की प्रति फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत की गई, जो शा0मि0 हो। सिविल प्रक्रिया संहिता में तामील की जो प्रक्रिया विहित है, उसमें अनुसार यदि प्रतिवादीगण तामील के बचने का प्रयास करना साबित होने पर न्यायालय द्वारा यह सन्तुष्ट होने के पश्चात ही प्रतिस्थापित तामील एवं प्रचलित समाचार पत्र में सम्मन के प्रकाशन करवाये जाने के आदेश पारित किए जा सकते है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दायर होने पर जो सम्मन प्रतिवादीगण के नाम जारी किए, वे तामील अथवा अदम तामील कब प्राप्त हुए, इसका उल्लेख आदेशिका में नहीं है तथा प्रतिवादगण के सम्मन प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने के आदेश नहीं होने के बावजूद भी बिना किसी आदेश के सम्मन अखबार में प्रकाशित करवाया गया, जो विधि विरूद्ध है। आदेशिका दिनांक 05.05.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावा हेतु पत्रावली दिनांक 20.07.2015 को प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 26.06.2015 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में रखा गया, जिसकी सूचना पक्षकारान को जरिये नोटिस प्रदान की गई, जिसका नोटिस पत्रावली के संलग्न हे। उक्त नोटिस किसी भी पक्षकार को तामील ही नहीं हुआ। इसके पश्चात राजस्व लोक अदालत में प्रकरण को अन्तिम रूप से निर्णित करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जवाब लिया गया तथा न ही किसी प्रकार के साक्ष्यों को परीक्षित किया। विधि अनुसार वाद में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर, उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात के विनिश्चय के आधार पर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना प्रावधित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के साक्ष्यों को परीक्षित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नहीं किया गया है तथा न ही विधि अनुसार कार्यवाही किया जाना पाया जाता है। इस कारण जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक जिलाधीश (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2014 चम्पालाल बनाम सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26.06.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त Observation को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर